

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या -5/कनिष्ठ लिपिक/परीक्षा /2011-12

दिनांक : 14.09.2011

आयोग के विज्ञापन संख्या-1/परीक्षा 'ग'/कनिष्ठ लिपिक/संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा/2011-12 दिनांक 17.05.2011 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिये 25 पद विज्ञापित किये गये थे। विज्ञापन के तहत आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 17.06.2011 रखी गई थी। तत्पश्चात् प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 09.06.2011 के तहत आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 20.06.2011 कर दी गई थी, के सन्दर्भ में यह अधिसूचित किया जाता है कि:-

1. आयोग कार्यालय के पदों की संख्या में वृद्धि किये जाने के उपरान्त पदों स्थिति अब निम्न प्रकार हो गई है:-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	पूर्ण पद कुल	अजा		अजजा		पिछड़ा वर्ग		विशेष पिछड़ा वर्ग		सामान्य			कुल			
			सामान्य	भौल	सामान्य	भौल	सामान्य	भौल	सामान्य	भौल	सामान्य	भौल	विवाह				
			संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या				
1	राज. लोक सेवा आयोग	31	3	1	4	3	--	3	5	1	6	--	--	13	4	1	18
3	अधीनस्थ कार्यालय	1366	आरक्षण की स्थिति नियमानुसार देय है। शासन से आरक्षण की स्थिति प्राप्त होने पर यथासमय विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।														

नोट:- राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत शासन से प्राप्त अर्थना के अनुसार अधीनस्थ कार्यालय हेतु कनिष्ठ लिपिक के रिक्त 1366 पदों पर भर्ती की कार्यवाही उक्त विज्ञापन के तहत ही की जाएगी।

2. आयोग के उक्त विज्ञापन संख्या के बिन्दु संख्या 6 "आयु" एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधानों को अब निम्न प्रकार से पढ़ा जावे।

आयु :- आयोग कार्यालय हेतु दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो।

परन्तुक :- राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 7/6 /कार्मिक/ए-II/2008 दिनांक 23.09.08 के क्रम में "यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।

2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामले में 10 की वर्ष की छूट होगी।

3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।

4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिए जाएंगे।

5. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।

6. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

7. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

8. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

9. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। स्पष्टीकरण विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

नोट - (1) उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) यदि जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओं के पद आरक्षित नहीं होंगे उन्हें आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरुष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

शासन सचिवालय हेतु दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो,

परन्तुक :- राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 7/6 /कार्मिक/ए-II/2008 दिनांक 23.09.08 के क्रम में "यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।

2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामले में 10 की वर्ष की छूट होगी।

3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।

4. भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

5. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

6. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
7. That a person holding a post temporarily under the Government shall be deemed to be within the age-limit had he been within the age-limit when he was initially appointed even though he had crossed the age-limit when he finally appears before the Commission/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had he been eligible as such at the time of his initial appointment;
8. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी।
9. That there shall be no restriction as to age for candidates already in service connection with the affairs of the state in a substantive capacity, or in a temporary capacity continuously having been so appointed in any period before 15-10-1969 prior to their attaining the age of 25 years and in any period thereafter prior to their attaining the age of 28 years.
10. पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
11. That the upper age-limit mentioned above shall be relaxed up to 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 1-3-1963 and East African counties of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a further relaxation up to 5 years in the case of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
12. रिलीज़ इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमिशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपरिथिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
13. सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
14. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
15. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। स्पष्टीकरण विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
16. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए, परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
17. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :—
 - 1 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
 - 2 पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
 - 3 अ0जा10/अ0ज0जा10 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 17 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

आयु :— अधीनस्थ कार्यालयों हेतु दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो,

परन्तुक :— राज्य सरकार के अधिसूचना कमांक एफ 7/6 /कार्मिक/ए-II/2008 दिनांक 23.09.08 के कम में "यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा। यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलों में 10 की वर्ष की छूट होगी।
3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. There shall be no restriction as to age for a candidate already serving in connection with the affairs of the state in a substantive capacity, or in a temporary capacity continuously having been so appointed prior to his/her attaining the age of 33 years.
5. भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
6. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिथिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिए जाएंगे।
7. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
8. पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
9. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
10. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
11. सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
12. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

13. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। स्पष्टीकरण विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
14. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए, परन्तु सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
15. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :—
 - 1 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
 - 2 पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
 - 3 अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

3. इन पदों हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक 20.06.11 से बढ़ाकर अब **दिनांक 10 अक्टूबर, 2011** को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) कर दी गई है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अँग लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन लाईन आवेदन करें।
4. इन पदों हेतु जिन आवेदकों ने पूर्व में विज्ञापन के तहत आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
5. विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेगी, इसके लिये विस्तृत विज्ञापन तथा आयोग की वेब-साईट www.rpsc.gov.in देखें।

(डॉ.के.के.पाठक)
सचिव
